अतिमहत्त्वपूर्ण नियम एवं शर्तें

(MITC)

सारस्वत बैंक

सारस्वत को-ऑपरेटिव बैंक लि.

(शेड्युल्ड बैंक)

अतिमहत्त्वपूर्ण नियम एवं शर्तें
(MITC)

संस्करण २.०

कार्पोरेट एवं पंजीकृत कार्यालयः
सारस्वत को-ऑपरेटिव बैंक लि.
एकनाथ ठाकूर भवन, ९५३, अप्पासाहेब मराठे मार्ग,
प्रभादेवी, मुंबई - ४०००२५. दूरभाषः ०२२-६६०० ५५५५

सारस्वत बैंक रुपे क्रेडिट कार्ड

महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तें

१) शुल्क और प्रभार

अ) क्रेडिट कार्ड धारक द्वारा शुल्क देय

- जॉइनिंग शुल्क
- वार्षिक शुल्क

शुल्क कार्डधारक तथा प्रस्तावों पर आधारित है। जो कि क्रेडिट कार्ड आवेदन के समय आवेदक को सूचित किए गए उपरोक्त शुल्क, कार्ड खाते में और मासिक कार्ड विवरण में प्रति माह दर्शाए जायेंगे।

ब) अग्रिम नकद शुल्क

कार्डधारक आपातकाल में ए. टी. एम. से नकद आहरण के लिए इस कार्ड का उपयोग भारत अथवा विदेश में कर सकता है। निकाली गई रकम पर १% ट्रांज़ैक्शन शुल्क (न्यूनतम रु.१००) लागू होंगे और अगले महीने के बिल में दर्शित होंगे। ट्रांज़ैक्शन शुल्क सारस्वत बैंक द्वारा तय किए जाएँगे। सभी अग्रिम नकद सेवाओं पर वित्त प्रभार लागू होंगे (नकद आहरण के दिनांक से पूर्ण भुगतान मिलने तक)

स) प्रभार

I) प्रभार एवं अन्य शुल्क

सारस्वत को-ऑपरेटिव बैंक लि. द्वारा प्रदान की गयी विशिष्ट सेवाओं पर प्रभार एवं अन्य शुल्क, जहाँ उपयुक्त, लागु किए जाएँगे, जिसका कार्ड धारक या कार्ड धारकों को उचित समय पर भुगतान करना होगा। अंतिम तिथी तक भुगतान ना करने पर भी यह प्रभार एवं शुल्क लागू होंगे।

ii) सारस्वत को-ऑपरेटिव बैंक लि. प्रभार और शुल्कों में बदल करने के और नए प्रभार या शुल्क लागू करने के सभी अधिकार रखती हैं, जिसके बारे में कार्ड धारक को सूचित किया जाएगा।

ड) ब्याजरहित अवधि

अधिकतम ब्याजरहित अवधि ४५ दिन है, जो विशिष्ट कार्ड के विशिष्ट लागू स्कीम पर और व्यापारी द्वारा दिए गए दावों पर आधारित है, (कृपया प्रभारों की अनुसूची पढ़े) परंतु यदि पिछले महीने में कार्ड के प्रति भुगतान न किया हो, या कार्ड धारक ने ए.टी.एम. से नकदी निकाली हो, तो यह ब्याजरहित अवधि लागू नहीं है। उदाहरण के लिए, सारस्वत बैंक रुपे क्रेडिट कार्ड की ब्याजरहित अवधि ४५ दिन है। इसका अर्थ यह होता है कि यदि ग्राहक को बिलिंग १० अक्टूबर को होता हो, तो वह अपने कार्ड से ११ अक्टूबर से १० नवम्बर तक खर्च कर सकता है।

भुगतान देय दिनांक २५ नवम्बर होगी, अतः २८ अक्टूबर को जो खरीदा हो, उसकी क्रेडिट अवधि २८ दिन होगी। और १० नवम्बर को जो खरीदा हो उसकी क्रेडिट अवधि १५ दिन होगी। यह अवधि ब्याजरहित होगी यदि पूर्व बकाया राशी का भुगतान कर दिया गया हो तथा कोई शेष राशि भविष्य के महीनों में आगे बढ़ाई गई नहीं हो।

२. मर्यादा/सीमा

सारस्वत को-ऑप बैंक लिमिटेड कार्डधारकों के क्रेडिट और आहरण की सीमाओं का स्वयं निर्णय लेगी (जो ऐड-ऑन कार्डधारकों पर भी लागू होगी।) यह मर्यादाएं कार्ड धारक को कार्ड डिलीवरी तथा हर माह के विवरण (स्टेटमेंट) में स्पष्ट की जाएँगी। हर विवरण के निर्माण के समय उपलब्ध ऋण मर्यादा (क्रेडिट लिमिट) मासिक विवरण में समाविष्ट होती है। सारस्वत को-ऑपरेटिव बैंक लि. समय समय पर कार्ड धारक के खाते की समीक्षा करेगी और समीक्षा अनुसार कार्डधारक की क्रेडिट लिमिट कम भी कर सकती है। इस स्थिति में बैंक कार्डधारक को कारणसहित तुरंत एस.एम.एस./ ई-मेल से सूचित करेगी और लिखित पुष्टि भी करेगी। कार्डधारक यदि अपनी क्रेडिट लिमिट बढ़ाना चाहे तो वे अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिती के दस्तावेजों के साथ बैंक को आवेदन कर सकते हैं। बैंक स्वविवेक और इन नए

दस्तावेजों के आधार पर क्रेडिट लिमिट बढ़ा सकती है।

३. वित्त प्रभार

- कार्डधारक ने किसी व्यवहार में रकम का सम्पूर्ण भुगतान न किया हो अथवा कैश एडवान्स लिया हो, उस स्थिति में वित्त प्रभार व्यवहार के दिनांक से मासिक प्रतिशत के अनुसार, सम्पूर्ण भुगतान होने तक देय होता है। वित्त प्रभार लागू होने पर सम्पूर्ण रकम के भुगतान होने तक कार्ड खाता डेबिट किया जाएगा।
- कैश एडवान्स पर वित्त प्रभार लेन देन के दिनांक से सम्पूर्ण रकम के भुगतान होने तक लागू होता है।
- कार्डधारक जब बकाया राशि आगे बढ़ाता है अथवा कैश एडवान्स का उपयोग करता है तब वित्त प्रभार शेष राशि तथा नए बिलिंग पर लागू होता है।
- न्यूनतम देय राशि का भुगतान देय तिथी तक न होने पर विलंब शुल्क लागू होंगे। विलंब शुल्क लागू न होने के लिए क्लियर फंड्स सारस्वत बैंक क्रेडिट कार्ड खाते पर भुगतान देय तिथी तक भरने होंगें (अधिक जानकारी के लिए शेड्यूल ऑफ़ चार्जेस देखिए)

उदाहरण,

कार्ड विवरण (स्टेटमेंट) तिथि हर महीने की १० तारीख को होने पर,

व्यवहार की तिथि ११-१०-२०१८ से १०-११-२०१८ के बीच

१३-१०-२०१८ को रु. ५००० की रीटेल खरीद

२३-१०-२०१८ को रु. १०००० की ऑनलाईन खरीद

यह मानते हुए कि १०-१०-२०१८ के विवरण में पहले की कोई राशि शेष आगे नहीं बढ़ाई गई है कार्ड धारक को रु. १५००० का विवरण १०-११-२०१८ को मिलेगा।

कार्ड धारक को बकाया राशि का भुगतान विवरण से १५ दिन के अंदर अर्थात दि.२५-११-२०१८ तक करना होगा। यह भुगतान सम्पूर्ण देय राशि या न्यूनतम बकाया राशि में से कोई भी हो सकता है।

यदि कार्डधारक २५-११-२०१८ तक न्यूनतम देय राशि या अधिक का भुगतान नहीं करता तब उसे ₹ २५० का विलंब शुल्क भरना होगा। इस विलंब शुल्क पर जी.एस.टी. लागू होगा।

ऋण मर्यादा (क्रेडिट लिमिट) से अधिक बकाया राशि के लिए ओवरलिमिट चार्जेस लागू होंगे (अधिक जानकारी के लिए शेड्यूल ऑफ़ चार्जेस देखिए)

निम्न उदाहरण से वित्त प्रभार गणना की विधि स्पष्ट होगी - यह मानते हुए कि आपने पहले की सारी बकाया राशि का सम्पूर्ण भुगतान कर दिया है और आपके क्रेडिट कार्ड पर कोई बकाया राशि देय नहीं है। आपके कार्ड का विवरण जारी होने का दिन हर महीने की १० तारीख है। व्यवहार अवधि ११-१०-२०१८ से १०-११-२०१८ है और देय दिनांक २५-११-२०१८ है। क्रेडिट कार्ड खाते में ये व्यवहार निम्न प्रकार होंगे -

दिनांक	विवरण	राशि
०७/११/२०१८	खरीद	२०००
१०/११/२०१८	स्टेटमेंट (विवरण) देय	२०००
	न्यूनतम देय राशि ५%	२००
२५/११/२०१८	भुगतान देय तिथी	
२८/११/२०१८	खरीद	६००
०३/१२/२०१८	भुगतान प्रकार	१६००

अतः १०-१२-२०१८ दिनांक के स्टेटमेंट में निम्नलिखित दर्शायी जाएँगी जिसके आधार पर आपको संपूर्ण रकम का भुगतान करना होगा. ब्याज गणना = (बकाया राशि X प्रति महीना १. ७५ % X १२ महीने X कुल दिनों की संख्या) / ३६५

इसलिए,

क) २००० पर ब्याज @ १. ७५ % प्रति महिना ७ नवंबर से २ दिसंबर (अर्थात २६ दिन) = २९. ९२

४०० पर ब्याज (२००० - १६००) @ १. ७५ % प्रति महिना ३ से १० दिसंबर (अर्थात ८ दिन) = १. ८४

६०० पर ब्याज @ १. ७५ % प्रति महीना २८ नवंबर से १० दिसंबर (अर्थात १३ दिन) = ४. ४९

अतः कुल ब्याज ₹३६.२५

ख) विलंब शुल्क ₹ २५० लागू होगा।

ग) संपूर्ण देय रकम = ₹ १००० (६०० नए खर्च + ४०० पिछले महिने के बिल की बाकी देय रकम)

अतः संपूर्ण देय रकम = क) + ख) + ग) = १२८६.२५
ब्याज और विलंब शुल्क पर जी.एस.टी. लागू होगा।

कृपया जान लें कि वित्त प्रभार एवं अन्य प्रभार तय करने में सारस्वत को-ऑप बैंक लि. का निर्णय अंतिम होगा। यदि कार्डधारक क्रेडिट मर्यादाओं का उल्लंघन करे तो ओवर लिमिट प्रभार लगाए जाएंगे। प्रभारों की अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस दस्तावेज़ के अंतिम भाग में दिए गए प्रभार अनुसूची को पढ़ें।

४. बिलिंग और विवरण

- कार्डधारक के रजिस्टर्ड ईमेल पते पर बैंक हर महिने एक विवरण भेजेगी जिसमें कार्ड खाते पर कम से कम १ व्यवहार अथवा ₹५० की बकाया राशि हो।
- विवरण के न मिलने पर भी इस एग्रीमेंट के तहत कार्डधारक के दायित्व कायम रहेंगे और कार्डधारक को भुगतान की तारीख तक न्यूनतम देय राशि देना अनिवार्य होगा।
- न्यूनतम देय राशि कुल देय राशि के ५% या फिर सारस्वत को-ओपरेटिव बैंक लि. द्वारा स्वविवेक से सुनिश्चित की गई राशि होगी।

  ई.एम.आय. की राशि न्यूनतम देय राशि में पूरी जोड़ी जाएगी।
- यह सूचित किया जाता है कि विवरण के न मिलने पर अथवा किसी भी प्रकार की विसंगती होने पर, विवरण की तारीख से १५ दिन के अन्दर बैंक को सूचित करना कार्डधारक की जिम्मेदारी है। ऐसा न होने पर यह माना जाएगा कि कार्डधारक को विवरण प्राप्त हो चुका है।
- विवरण मिलने से ६० दिनों के अन्दर कार्डधारक लिखित स्वरुप में सारस्वत को-ऑपरेटिव बैंक लि. को सूचित न करने पर, विवरण में दी गई सारी

जानकारी योग्य और स्वीकृत मानी जाएगी। ऐसी सूचना मिलने पर सारस्वत को-ऑपरेटिव बैंक लि. जाँच होने तक अस्थायी तौर पर शुल्क रद्द करेगी। अगर जाँच पूरी होने पर कार्डधारक के खाते पर शुल्क देयता की पुष्टि होती है, तब उस खाते पर यह शुल्क और पुनर्प्राप्ति अनुरोध शुल्क (रिट्रीवल रिक्वेस्ट चार्जेस) लागू किए जाएँगे। ग्राहक से शिकायत मिलने पर (६० दिनों के अन्दर) बैंक **RuPay** के नियमों के अनुसार सदस्य बैंक से मिले आवश्यक दस्तावेज प्रदान करेगी।

- आपको अनुरोध है कि ठीक समय पर कार्ड खाते पर देय राशि का भुगतान करें। भुगतान का विवरण, विलंबित राशि के साथ क्रेडिट ब्युरोज को सूचित किया जाता है।

- अधिक भुगतान राशि बिल न किए गए संव्यवहारों में जमा की जाएगी।

- कार्डधारक अपनी किसी भी शिकायत के निवारण के लिए या पूछताछ के लिए बैंक को निम्लिखित में से किसी भी प्रकार संपर्क कर सकते हैं -

  क) २४ घंटे ग्राहक सेवा केंद्रः १८०० २६६ ९५४५

  ख) डाक द्वारा - मॅनेजर, सारस्वत को-ऑपरेटिव बैंक लि., क्रेडिट कार्ड सेल, एकनाथ ठाकूर भवन, ९५३, अप्पासाहेब मराठे मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई ४०० ०२५, महाराष्ट्र

  ग) ईमेल द्वारा creditcards@saraswatbank.com

भुगतान की सरल विधि

सारे भुगतान भारतीय रुपयों में ही किये जायेंगे। कार्डधारक निम्नलिखित मार्गों में से किसी एक के द्वारा भुगतान कर सकते हैं।

- यदि कार्डधारक का सारस्वत को-ऑपरेटिव बैंक लि. में खाता हो, तो वह बैंक को अनुदेश दे सकता है कि हर महीने उनके खाते से क्रेडिट कार्ड के लिए देय दिनांक

को भुगतान हो जाये।

- कार्डधारक किसी अन्य बैंक से एन.इ.एफ.टी. द्वारा भी अपने क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान कर सकते है।
- सारस्वत को-ऑपरेटिव बैंक लि. के इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करके भी कार्डधारक अपने क्रेडिट कार्ड का भुगतान कर सकते हैं।
- आई.एम.पी.एस/एन.ई.एफ.टी/नेट बैंकिंग द्वारा भुगतान करते समय खाता क्रमांक के स्थान पर अपने १६ अंक का कार्ड क्रमांक लिखें और आई.एफ.सी. कोड SRCB0000001 लिखें।
- सारस्वत को-ऑपरेटिव बैंक लि. क्रेडिट कार्ड नं XXXXXXXXXXX के नाम से बने चेक या ड्राफ्ट से भी क्रेडिट कार्ड का भुगतान किया जा सकता है, जो हमारे किसी भी शाखा में जमा हो सकता है। यह चेक या ड्राफ्ट भुगतान के अंतिम दिनांक से कम से कम ३ कार्य दिवस पहले बैंक में जमा करें ताकि अंतिम देय दिनांक के बाद लागू होने वाले प्रभार आपको न भरने पड़े और कार्ड में सही समय पर राशि जमा हो। चेक के पीछे अपना नाम और मोबाईल नंबर लिखें ताकि एस. एम. एस. द्वारा आपको भुगतान के बारे में जानकारी मिले।
- बैंक स्वविवेक से उत्तर दिनांकित (पोस्ट डेटेड) चेक न स्वीकारने का अधिकार रखती है इसलिए ग्राहकों को अनुरोध है कि वह उत्तर दिनांकित (पोस्ट डेटेड) चेक न दें।
- बैंक शाखा पर १६ अंक कार्ड क्रमांक बता कर नकद भुगतान (कैश पेमेंट) कार्ड के लिए जमा भुगतान में ब्याज, कर (टैक्स), कैश अडवांस, ई.एम.आय. और खरीद, इस क्रम में एडजस्ट किये जाएँगे।

५. अप्राप्ति (डिफॉल्ट) की स्थिति में

- अप्राप्ति की स्थिति में कार्डधारक को समय समय पर सारस्वत को-ऑपरेटिव बैंक लि. के प्रतिनिधियों द्वारा अनुस्मारक (रिमाईंडर्स) भेजे जाएँगे। इनमें तृतीय पक्ष (थर्ड पार्टी) प्रतिनिधियों का समावेश है जो सारस्वत

को-ऑपरेटिव बैंक लि. ने क्रेडिट कार्ड खाते पर बकाया राशि भुगतान के लिए नियुक्त किए हैं। डाक, फैक्स, टेलीफोन, ईमेल, एस.एम.एस. या प्रतिनिधियों को अन्य प्रकार से स्मरण कराने, जाँच करने और भुगतान राशि जमा करवाने के लिए बैंक नियुक्त कर सकती है। जो भी तृतीय पक्ष (थर्ड पार्टी) इस तरह से नियुक्त की जाएगी उन्हें बकाया राशि भुगतान से जुड़े नियमों का समय समय पर पालन करना होगा।

अप्राप्ति के स्थिति में बैंक निम्न अधिकार रखती है -

- क्रेडिट कार्डधारक की क्रेडिट कार्ड सुविधा रद्द कर सकती है।
- कार्ड पर लागू सम्पूर्ण बकाया राशि भरने के लिए कार्डधारक को कहना।
- बैंक अपने अधिकारों से कार्डधारक के नाम से बैंक में उपलब्ध खाते / एफ.डी. / धन राशि अप्राप्त राशि अधिग्रहित कर सकती है।
- बैंक अधिकारों के अलावा किसी भी विधिपूर्ण तरीके से बकाया राशि का अधिग्रहण कर सकती है।
- बैंक कार्डधारक को किसी भी पूर्व सूचना के बिना और गोपनीयता रखते हुए, रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया या किसी और अधिकारी संस्था तथा क्रेडिट ब्यूरो या किसी भी सरकारी अधिकारी या किसी भी और संस्था / व्यक्ति को कार्डधारक की पहचान और अप्राप्ति की घटना बता सकती हैं

बैंक स्वविवेक से अप्राप्ति रिपोर्ट वापस ले सकती है, अगर -

- कार्डधारक व्यक्ति ने सारी बकाया राशि (लिक्विडेशन प्रक्रिया से) बैंक को चुका दी हो।
- न्यायालय ने बनाम बैंक या बैंक द्वारा दाखिल किए गए कानूनी मुकदमे में जारी किए गए निर्णय से कार्डधारक को डी-लिस्ट करने के लिए कहा गया हो यह निर्णय व्यक्तिगत तौर पर, हर मामले पर अलग

(केस टू केस) आधार पर दिए जाते है।

- कार्डधारक की मृत्यु अथवा स्थायी विकलांगता के स्थिति में सारस्वत को-ऑपरेटिव बैंक लि. कार्डधारक के खाते से बकाया राशि वसूल करने के लिए इन्शोरंस (बीमा) अथवा कार्ड धारक के वारिस/ वसीयत प्रबंधक/ प्रशासक से वसूली करने के अपने न्याय अधिकार सुरक्षित रखती है।

६. कार्ड सदस्यता की समाप्ति / निरसन (टर्मिनेशन / रिवोकेशन)

- कार्डधारक यह एग्रीमेंट किसी भी समय समाप्त (टर्मिनेट) कर सकता है ऐसा करने के लिए 'मॅनेजर, सारस्वत को-ऑपरेटिव बैंक लि., क्रेडिट कार्ड सेल, एकनाथ ठाकूर भवन, ९५३, अप्पासाहेब मराठे मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई ४०० ०२५, महाराष्ट्र' को लिखें, साथ में तिरछी तरह से कटा कार्ड एक साथ भेजें। इस आधार पर ऐड ऑन सहित सभी कार्ड खारिज कर दिए जाएँगे। यह समाप्ति सभी कटे कार्ड तथा उनके बकाया राशि के सम्पूर्ण भुगतान के बाद ही लागू होगी। कोई वार्षिक, जॉइनिंग या यथानुपात (प्रो राटा) शुल्क इस वजह से वापस नहीं किए जाएँगे।

- बैंक यदि कार्ड से किसी अस्वाभाविक संव्यवहार का निरिक्षण करती है तब बैंक ट्रांज़ैक्शन की पुष्टि के लिए कार्डधारक से रजिस्टर्ड फोन नंबर पर संपर्क स्थापित करने का प्रयत्न करेगी। यदि ग्राहक से बैंक का संपर्क स्थापित न हो पाए उस स्थिती में सुरक्षा कारणों से बैंक सूचित किए बिना कार्ड के उपयोग को प्रतिबंधित या सीमित कर सकती है।

- यदि कार्डधारक कोई भुगतान न करे तो बैंक कार्ड की सुविधा समाप्त कर सकती है। जब कार्ड निलंबित किया गया हो तब कार्ड का उपयोग अवैध माना जायेगा।

- जब ऐसी समस्या हो, तो कार्डधारक को तुरंत सारस्वत को-ऑपरेटिव बैंक लि. के प्रति अपने क्रेडिट कार्ड का भुगतान करना चाहिए। इस रकम में उस कार्ड खाते से

संबंधित सारे प्रभार, और सभी बिल्ड एवं अनबिल्ड ट्रांज़ैक्शन जोडे जाएंगे। यह कार्ड तब तक बंद नहीं किया जाएगा जब तक पूरी बकाया राशि भरी नहीं जाती।

- कार्डधारक की असामायिक मृत्यु, निगमित निकाय का विलयन, दिवालियापन, कॉर्पोरेट संस्था स्थायी रुप से बंद होने की स्थिती में कार्ड धारक और ऐड-ऑन कार्ड धारक का कार्ड स्वतः बंद किया जायेगा। कार्ड खाते पर जितनी भी रकम देय है, वह असामायिक मृत्यु या निगमित निकाय का विलयन या दिवालियापन होने पर संपूर्ण देय मानी जायेगी। बैंक सभी बकाया राशियों के भुगतान के लिए कार्ड धारक के दायित्व के लिए बिना किसी पूर्वाग्रह के, प्रासंगिक कानूनों के अनुसार समान वसूली करने का हकदार होगा।

७. कार्ड खोने पर/ चुराए जाने पर/ गलत इस्तेमाल होने पर

- यदि क्रेडिट कार्ड या ऐड-ऑन कार्ड खो जाये, चोरी हो जाये, खराब हो जाए, या नवीनीकृत कार्ड प्राप्त न होने की स्थिती में या अगर यह संदेह हो की वह कार्ड मुख्य कार्डधारक के अनुमति के बिना उपयोग किया जा रहा है, तो कार्डधारक को तुरंत २४ घंटे उपलब्ध ग्राहक सेवा को सूचित करना चाहिए। कार्ड खो जाने की सूचना देने के बाद अगर कार्ड धारक को कार्ड मिल जाए उस स्थिती में उसका उपयोग न किया जाए। अगर मुख्य खाते का क्रेडिट कार्ड बंद किया जाता है तो ऐड -ऑन कार्ड अवैध माना जायेगा। इसी प्रकार अगर ऐड-ऑन कार्ड खो जाये तो मुख्य कार्ड एवं अन्य ऐड-ऑन कार्ड बंद किये जायेंगे।

- बैंक के ग्राहक सेवा को कार्ड खोने की सूचना देने से पहले जो ट्रांज़ैक्शन कार्ड द्वारा किये हो वह सभी कार्डधारक को भरने पड़ेंगे। बैंक को सही तरह से सूचना देने के बाद अगर कार्ड का गलत इस्तेमाल हो, तो कार्डधारक को कोई रकम नहीं भरनी पड़ेगी। ग्राहक सेवा को बताने के साथ, कार्डधारक को पुलिस स्टेशन में एफ आय आर दर्ज करना चाहिए और उसकी एक प्रतिलिपि बैंक को देनी चाहिए।

- अगर मुख्य कार्डधारक अथवा ऐड-ऑन कार्डधारक की अनुमति से पिन प्राप्त किया जाये, और उसका अनुचित उपयोग हो, तो कार्डधारक को सभी रकम बैंक को देनी पड़ेगी।
- अगर कार्डधारक ने कपटपूर्वक कार्ड सम्बंधित कोई व्यवहार किया हो तो वह कार्डधारक उसके लिए उत्तरदायी होगा। यदि कार्डधारक कार्ड की उचित देखभाल न करे तो उस नुकसान के लिए वह कार्डधारक स्वयं उत्तरदायी होगा।
- सारस्वत को-ऑपरेटिव बैंक लि. पुलिस या अन्य किसी अधिकारी संस्था को जानकारी दे सकती है जो उस कार्ड के चोरी या पिन से सम्बंधित हो।
- कार्डधारक बैंक के ऐच्छिक बीमा का उपयोग कर सकते है जिससे कार्ड पर किये गए छलपूर्ण ट्रांज़ैक्शन का नुकसान भर सकते है।

८. शिकायत कक्ष

- अगर कार्डधारक बैंक की किसी सेवा से संतुष्ट न हो तो वह अपनी शिकायत निम्न पते पर कर सकते है - मैनेजर, शिकायत कक्ष, सारस्वत को-ऑपरेटिव बैंक लि., एकनाथ ठाकूर भवन, ९५३ अप्पासाहेब मराठे मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई, ४०००२५, दूरध्वनी ०२२ - ६६०० ५५५५ सुबह १० बजे से सायं ५ बजे तक (सोमवार से शुक्रवार)। शिकायत दर्ज करते समय अपने क्रेडिट कार्ड का १६ अंको का नंबर बताएं।

९. प्रकटीकरण

- कार्डधारक बैंक को क्रेडिट जाँच, संदर्भ जाँच, अपने हितों की सुरक्षा के लिए अथवा कार्डधारक व्दारा दोषपूर्ण व्यवहार की स्थिती में कार्डधारक से संबंधित आंशिक / संपूर्ण जानकारी / कागजात, इस अथवा अन्य समझौते की जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक, करविभाग, न्यायाधिकरण, न्यायिक संस्थाओं, अन्य बैंक, क्रेडिट ब्यूरो, वित्त संस्थाओं, इत्यादि के साथ प्रकटीकरण नियमानुसार समय समय पर साझा करने हेतू अधिकृत करता है।

- कार्डधारक यह मान्य करता है कि इस आवेदन में दी हुई जानकारी या अन्य कोई जानकारी का उपयोग बैंक विपणन के लिए या कार्ड सम्बंधित ऑफर, इ एम आई ऑफर, शेष ट्रांसफर, बीमा उत्पाद इत्यादि के लिए कर सकती है। और, बैंक के अन्य उत्पादनों के विपणन के लिए प्रकटीकरण के नियमानुसार बैंक इस जानकारी का उपयोग कर सकती है।
- कार्डधारक द्वारा दिए गए जानकारी का उपयोग बैंक टेलीमार्केटिंग द्वारा या सीधे पत्र या ईमेल द्वारा या और किसी भी संपर्क करने की सुविधाजनक विधी द्वारा अपने अन्य विपणन के लिए कर सकती है। कार्डधारक को कोई असुविधा न हो इस लिए बैंक एक 'डु नॉट डिस्टर्ब' रजिस्ट्री रखती है, और यदि कार्डधारक चाहता है की उसे कोई कॉल न आए तो वह बैंक को बताकर अपना फोन नंबर इस रजिस्ट्री में जोड़ सकता है।
- कार्डधारक मान्य करता है कि व्यापार की प्रथाओं तथा लागू प्रावधानों के अनुसार बैंक कार्डधारक की जानकारी मौजूदा या आगामी क्रेडिट ब्यूरो के साथ साझा करने हेतू अधिकृत है। इसके साथ कार्डधारक यह भी मान्य करता हैं कि यह सभी जानकारी बैंक कार्डधारक की अनुमति लिए बिना अन्य संस्थाओं को दे सकती है और यह सब कार्डधारक के प्रदर्शन या व्यवहार के अनुसार सकारात्मक या नकारात्मक रुप से प्रभावित कर सकती है।
- भारतीय क्रेडिट सूचना ब्यूरो लिमिटेड (CIBIL) भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की भारतीय वित्तीय प्रणाली के कार्य और स्थिरता में सुधार लाने के लिए एक पहल है। इसका उद्देश्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए एक प्रभावी तंत्र प्रदान करना है, जिससे कार्डधारक विभिन्न संस्थानों से बेहतर क्रेडिट शर्तों का लाभ उठा सकें।
- इस उपक्रम में शामिल सभी बैंक और वित्त संस्थाओं को कार्डधारक की जानकारी सिबिल को देना अनिवार्य

है। इस संदर्भ में बैंक कार्डधारकों को यह बताना चाहती है कि सारस्वत को-ऑपरेटिव बैंक लि. कार्डधारक के खाते की जानकारी सिबिल को देगी। सभी कार्डधारकों की यह जानकारी नियमित रूप से सिबिल को अपडेट की जाएगी। तथा बैंक इस हेतू अपने कार्डधारकों के अनवरत सहयोग के लिए आभारी है। इस प्रकार के अपडेट क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट में दिखने के लिए ४५-६० दिन लग सकते है।

सारस्वत बैंक क्रेडिट कार्ड पर मुद्रित अथवा / तथा संग्रहित जानकारी की शुद्धता या गुणवत्ता की गांरटी नहीं देती। सारस्वत बैंक क्रेडिट कार्ड के उत्पादनों और सेवाओं की जानकारी बिना किसी पूर्व सूचना के बदली जा सकती है। बैंक यहाँ दी गयी जानकारी की अखंडता और शुद्धता के लिए उचित प्रयास करती है। लेकिन किसी छापे की गलती, या पुरानी जानकारी, या तकनिकी समस्याओं से आने वाली त्रुटियों के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं है। सारस्वत बैंक क्रेडिट कार्ड में दिए गए जानकारी के लिए सारस्वत बैंक कोई वारंटी या कानूनी उत्तरदायित्व नहीं ले सकती।

आकलन - वित्त और अन्य प्रभार

देरी से भुगतान करने पर प्रभार

अगर अंतिम देय दिनांक तक न्यूनतम देय रकम का भुगतान ना किया जाये तो प्रभार लागू हो सकते हैं।

उदाहरण १ -

अगर क्रेडिट कार्ड बिलिंग दि. १0 हो, और ११. १२. १८ से १0. १. १९ के बिच किये गये संव्यहार निम्न प्रकार हो:

१) खुदरा खरेदी ₹ ५000 की १८. १२. १८ को

२) ऑनलाइन खरेदी ₹ ५000 की २८. १२. १८ को

यह मानते हुए कि कार्डधारक के पिछले महीने के बिल का कोई शेष नहीं है, तो उसका बिल १0 जनवरी १९ को तैयार होगा जिसमें १0000 के ट्रांज़ैक्शन दिखाए जायेंगे। कार्डधारक को इस बिल का भुगतान २५ जनवरी तक होगा (स्टेटमेंट निर्माण होने के १५ दिनों में) चाहे वह न्यूनतम देय रकम हो या संपूर्ण देय राशि। इसके पश्चात ₹ २५0/- विलंब शुल्क देय होगा।

मर्यादा बाह्य खाते पर प्रभार

ग्राहक को उत्तम सेवा देने के प्रयास में, बैंक क्रेडिट सीमा के ऊपर गिने चुने ट्रांज़ैक्शन मान्य करेगी। अगर देय रकम, इस क्रेडिट मर्यादा से अधिक हो तो ₹ ५00 प्रभार लागू होगा। मर्यादा बाह्य स्थिति अन्य शुल्क या प्रभार लागू होने के वजह से भी दी जा सकती है।

चेक वापसी प्रभार

अनादरित चेक पर, कार्डधारक को ₹ ५00 चेक वापसी प्रभार देय होगा।

अन्य प्रभार

स्टेटमेंट प्रभार (>३ महिने), ₹ १00 प्रति स्टेटमेंट

विदेशी मुद्रा व्यवहार शुल्क ३%

विदेशी मुद्रा का भारतीय रुपयों में रुपांतरण का विनिमय दर रुपे (RuPay) तय करेगी. यह विनिमय दर ट्रांज़ैक्शन जिस दिन बैंक में सेटल होगा, चाहे ट्रांज़ैक्शन की दिनांक कोई और हो। विदेशी मुद्रा व्यवहार शुल्क ३%, रुपे द्वारा दिए गए भारतीय रुपयों पर लागू होगा।

वित्त प्रभार (सेवा प्रभार)

उदाहरण २ -

यह मानते हुए कि ११-१२-२०१८ से ०९-01-२०१९ तक ट्रांज़ैक्शन किया हो, तो वित्त प्रभार इस प्रकार होंगे। इस गणना में वार्षिक प्रभार और न्यूनतम देय राशि भी गिने जाएँगे और स्टेटमेंट महीने को १0 तारीख को पेश किया जाएगा।

वार्षिक प्रभार रु ५00, १0-१२-२०१८ को लागू

अन्य कर रु ९०, १0-१२-२०१८ को लागू

₹ ६000 की खुदरा खरेदी २४-१२-२०१८ को लागू

यह मानते हुए की पिछले कोई देय रकम बाकी नही है। इस १0-१२-२०१८ कार्डधारक का बिल होगा ₹ ६५९०/-

कार्डधारक को इस बिल का भुगतान २५-01-२०१९ से पहले करना पड़ेगा, चाहे वह पूरी देय राशी हो या न्यूनतम देय राशि।

यह मानते हुए की कार्डधारक रु ४२० जो न्यूनतम देय राशि हो भर दे, (संपूर्ण देय रकम के ५ %), + २५-०१-२०१९ को जो कर लागू होंगे, वित्तिय प्रभार १.७५% प्रति महिना के दर से लागू होंगे, वित्त प्रभार की गणना निम्न प्रकार से होगीः

ब्याज की गणना = (संपूर्ण देय रकम X प्रति महीना १.७५% X १२ महिने X कुल दिनों की संख्या) / ३६५

अतः

अ) ₹ ५०० पर ब्याज @ १.७५ % प्रति महिना ११ दिसंबर से २५ जनवरी तक (४६ दिन) = ₹ १३.२३

ब) ₹ ९० पर ब्याज @ १.७५% प्रति महिना ११ दिसंबर से २५ जनवरी तक (४६ दिन) = ₹ २. ३८

क) ₹ ६००० पर ब्याज @ १.७५% प्रति महिना २४ दिसंबर से २५ जनवरी तक ३३ दिन) = ₹ ११३. ९२

ड) ₹ ६१७० पर ब्याज @ १.७५% प्रति महिना २६ जनवरी से १० फरवरी तक (१६ दिन) = ₹ ५६. ८०

अतः संपूर्ण ब्याज लागू = रु १८६. ३३

यह मानते हुए की कार्डधारक ने ११ जनवरी से १० फरवरी २०१९ के दौरान कोई खरेदी नहीं की है, खरीदी पर देय रकम, ब्याज प्रभार, शुल्क और प्रभार, जो अन्य लागू कर

सहित संपूर्ण देय रकम १० फरवरी २०१९ के स्टेटमेंट के नीचे दर्शायी जाएगी।

अनुलग्नक बी
शुल्क या प्रभारों की अनुसूची

शुल्क या प्रभार का प्रकार	**रकम**
जॉइनिंग शुल्क	₹ शून्य
ऐड -ऑन कार्ड शुल्क	₹ शून्य
वार्षिक शुल्क (दूसरे वर्ष से लागू)	₹ ५00
ब्याज मुक्त अवधि	४५ दिन, यदि पिछले महीने का संपूर्ण भुगतान किया हो, बिल अवधि-महीने की १0 तारीख तक बिल देय तिथि महीने की दि. २५ तक
न्यूनतम देय राशी	संपूर्ण देय राशि के ५% (कम से कम ₹ २00/-) + सारे लागू कर + ई एम आई (यदि कोई ई एम आई ट्रांज़ैक्शन हो) + मर्यादा बाह्य रकम (यदि कोई हो)
वित्त प्रभार	
विस्तारित क्रेडिट के लिए (ई एम आई)	१.५0% प्रति माह (एपीआर १८% वार्षिक)
अग्रिम नकद के लिए	१.७५% प्रति माह (एपीआर २१% वार्षिक)
बकाया देय राशि	१.७५% प्रति माह (एपीआर २१ % वार्षिक)
अन्य प्रभार	
विलंब शुल्क प्रभार*	₹ २५0
मर्यादा बाह्य खाते पर प्रभार	₹ ५00
चेक वापसी प्रभार	₹ ५00
नकद भुगतान प्रसंस्करण प्रभार (बिल का भुगतान नकद से)	अ) ₹ ५000 तक, शून्य बी) ₹ ५000 से अधिक, ₹ १२५/-
कार्ड प्रतिस्थापन प्रभार	₹ २00/-
स्टेटमेंट पुनःप्राप्ति शुल्क (पेपर कॉपी के लिए पुनःप्राप्ति आवेदन शुल्क)	३ महीने तक, शून्य ३ महीनों के पश्चात: ₹ १00/-
पुनर्प्राप्ति निवेदन शुल्क	₹ १२५/-
विदेशी मुद्रा विनिमय	३.00% मार्कअप
उर्वरित रकम ट्रांसफर शुल्क	शून्य

***उपरोक्त प्रभारों पर कर लागू है।**
***११ फरवरी २०१९ से प्रभार लागू।**

सारस्वत
बैंक

सारस्वत को-ऑपरेटिव बैंक लि.
(शेड्युल्ड बैंक)

कार्पोरेट सेंटर:
एकनाथ ठाकुर भवन, ९५३, अप्पासाहेब मराठे मार्ग,
प्रभादेवी, मुंबई - ४०००२५. दूरभाष: ०२२-६६०० ५५५५
www.saraswatbank.com